रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 1987/माघ 2, 1908
No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, JAN. 22, 1987/MAGHA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1987

आदेश

का. आ. 35(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2—खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख

27 अक्तूबर, 1986 में प्रकाशित उद्योग मंत्रालय, रसायन और पैट्रो रसायन विभाग के आदेश सं. 770(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 1986 के आदेश को अधिक्रांत करते हुए 3000 रु. प्रति किलोग्राम अधिकतम विक्रय कीमत नियत करती है, जिस पर स्वदेशी विनिर्मित रिफाम्पीसीन का विक्रय किया जाएगा ।

[सं. 8(49)/85-डी II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 22nd January, 1987

ORDER

S.O. 35(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the Order of the Ministry of Industry, Department of Chemicals and Petro-Chemicals No. S.O. 770(E) dated the 27th October, 1986, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (ii) dated the 27th October, 1986, the Central Government hereby fixes Rs. 3000 per kilogram as the maximum sale price at which Rifampicin manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(49)|85-D.II]

R. S. MATHUR, Jt. Secy.
& Development Commissioner (DRUGS)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987